

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक :

/2015

क्रमांक 1283-PBR-15

सरदार सिंह पुत्र तखल सिंह
जाति बुर्ज 2 निवासी - ग्राम
उदवाहा तहसील कोरेरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

---आवेदक



श्री विनोद माताजी उद्ये.
द्वारा आज दि. 2-6-15 को
प्रस्तुत

प्र. 2-6-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- विरुद्ध
- (1) शंकर सिंह पुत्र मौजी जाति शंभार
 - (2) होशराम पुत्र शंभर जाति बरहहर
 - (3) भैयालाल पुत्र कृष्णभानु जाति बरहहर
 - (4) उदरम पुत्र तुलाराम जाति बरहहर
 - (5) प्रकाश पुत्र किरणिया जाति बरहहर
- सभी निवासी ग्राम सैभरा तहसील
कोरेरा जिला शिवपुरी - अनावेदक 2101

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत
निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक R-3233/15 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/4/15 को नियत था।
- 2 यह कि, नियत दिनांक 30/4/15 को आवेदक के अधिवक्ता / अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 30/4/15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक / बोर्ड पर चरप्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक R-3233/15 पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-1d

दिनांक 02-06-2015

स्थान-ग्वालियर

प्रार्थी
सरदार सिंह - उभावेदक
(डा. 121-अभिभाषक)
312-डा. शंभर

Res No 1283-Prd/15 दिनांक
सदरवाली शिका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिप आदि के पताक्ष
10.6.2015	<p>आवेदक की ओर से श्री आर० डी० शर्मा अभिभाषक उपस्थित। तक सुन गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान कार्य होने से मूव प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	